

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक  
मुकाम टोंक व अलजाम श्री रतनलाल योगी, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित  
दावा प्रकरण संख्या-11/2017

## उनवान

1. खेमराज पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पालडी तहसील व जिला टोंक
2. वेधप्रकाश पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पालडी तहसील व जिला टोंक
3. चन्द्रकला पत्नि सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पालडी तहसील व जिला टोंक

-वादीगण

## बनाम

1. रामकिशोर पुत्र हरिकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पालडी तहसील व जिला टोंक
2. अनीरुद्ध पुत्र हरिकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पालडी तहसील व जिला टोंक
3. मधुबाला पुत्री धूली चन्द पत्नि कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी जोबनेर जिला जयपुर
4. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक
5. तहसीलदार, टोंक
6. उप पंजीयक टोंक

-प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

श्री रईस अहमद व श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक वादीगण  
श्री मो० तसलीम व श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण

## दावा

प्रकरण संख्या-11/2017

बाबत-तकासमा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

दावा वादीगण मुताबिक तहसीलदार तकासमा रिपोर्ट, अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारों के मध्य तहसीलदार की तकासमा रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि रहेगी।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया।



(रतनलाल योगी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
टोंक

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	100	00	स्टाम्प अर्जी दावा	100	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सयूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीशान			मिजान		

नोट :- इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।